ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL**04292**
RNI REG. NO. UPBIL/**2014/66218** **PP. No.- 172-177**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

जलवायु परिवर्तन एवं वंचित वर्ग (दिव्यांग जनों के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण)

रविन्द्र सिंह

शोध अध्येता (सीनियर रिसर्च फेलो), पी–एच0 डी0 – समाजशास्त्र विभाग, ज. रा. दि. रा. वि. चित्रकूट (उ0प्र0) भारत

Received-19.05.2026, Revised-27.05.2026, Accepted-05.06.2026, E-mail:satish1984verma@gmail.com

सारांशः प्रस्तुत शोध आलेख में भारत में जलवायु परिवर्तन और दिव्यांगता के बीच के जटिल अंतर्संबंधों का एक व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पर्यावरणीय संकट को दिव्यांगों के लिए एक जोखिम गुणक (Risk Multiplier) माना गया है। यह लेख सामाजिक संरचना और जलवायु न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, जो यह स्पष्ट करता है कि आपदाओं के दौरान शारीरिक बाधाओं से अधिक समाज द्वारा निर्मित ढांचागत और नीतिगत कमियाँ दिव्यांगों को असुरक्षित बनाती हैं। आलेख के मुख्य केंद्र बिंदुओं में डेटा अंतराल, भीषण गर्मी के शारीरिक प्रभाव, और आपदा प्रबंधन प्रणालियों में समावेशिता का अभाव शामिल है, जहाँ चेतावनी संकेत और निकासी केंद्र अक्सर इस संवेदनशील वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं को अनदेखा कर देते हैं। अंततः, लेख में अंतर्विभाजकता के महत्व को रेखांकित किया गया है।

कुंजीभूत शब्द– जलवायु परिवर्तन, वंचित वर्ग, दिव्यांगता, पर्यावरणीय संकट, दिव्यांगजन, न्याय, आपदा, वैश्विक चुनौती, समावेशिता।

प्रस्तावना– जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे गंभीर वैश्विक चुनौतियों में से एक है, जो न केवल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बल्कि मानवीय समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों को भी गहराई से प्रभावित कर रहा है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ भौगोलिक विविधता और सामाजिक–आर्थिक असमानताएँ व्यापक हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एक समान नहीं होते। विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों और उनमें भी दिव्यांग जनों के लिए, जलवायु संकट एक जोखिम गुणक (Risk Multiplier) के रूप में कार्य करता है, जो उनकी पूर्व–मौजूद चुनौतियों को कई गुना बढ़ा देता है। भारत में दिव्यांग जनों पर जलवायु परिवर्तन के बहुआयामी प्रभावों का गहराई से विश्लेषण करने से पूर्व जलवायु परिवर्तन और समाज में व्याप्त सामाजिक आर्थिक असमानता को जानना आवश्यक है।

जलवायु परिवर्तन– जलवायु परिवर्तन से तात्पर्य पृथ्वी के जलवायु पैटर्न में दीर्घकालिक बदलावों से है, जिसमें तापमान, वर्षा और मौसम संबंधी घटनाओं में परिवर्तन शामिल हैं। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में मानवता के लिए सबसे बड़ा संकट जलवायु परिवर्तन है जो न केवल चरम मौसमी घटनाओं तक सीमित है बल्कि संपूर्ण जीव जगत के लिए उत्पन्न होने वाली सभी समस्याओं की जड़ है।

जलवायु प्रणाली में वायुमंडल (जिसमें सभी गैसों का संतुलित अनुपात), जलमंडल (महासागर, नदियाँ, ग्लेशियर आदि), स्थलमंडल (भूमि–भौगोलिक संरचना), और जीवमंडल (सभी जीव) जैसे बड़े घटक और उनकी परस्पर क्रियाएँ शामिल होती हैं। इन सब में होने वाले दीर्घकालिक बदलाव को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है और आवश्यक भी है यदि पृथ्वी के अस्तित्व से लेकर आज तक इन घटकों में परिवर्तन न हुआ होता तो शायद आज इस ग्रह पर जीवन असंभव था, जलवायु परिवर्तन के प्रमुखतः दो कारण हैं प्राकृतिक और मानव जनित जिसमें जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे घातक कारण मानव जनित हैं

वंचित वर्ग– समाज के ऐसे लोग या समूह होते हैं जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक या संरचनात्मक कारणों से समाज की मुख्यधारा से कटे होते हैं और उन्हें विकास, संसाधन, शिक्षा व अवसरों तक पहुँचने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे गरीबी, भेदभाव, या ऐतिहासिक पिछड़ेपन के कारण। इसमें अक्सर अनुसूचित जाति/जनजाति, अल्पसंख्यक, निम्न आय वर्ग, दिव्यांगजन और महिलाएं शामिल होते हैं, जिन्हें समाज में समान स्थान या मान्यता नहीं मिलती।

जलवायु परिवर्तन एवं सामाजिक आर्थिक असमानता– औद्योगिक क्रांति के आरंभ से लेकर आज तक लगभग सभी प्रमुख घरेलू उद्योग पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं आज पूरी दुनिया अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्ण रूप से बड़े कारखानों पर निर्भर है और यह निर्भरता सम्पूर्ण जीव जगत को विनाश की ओर ले जा रही है, बड़े स्तर पर औद्योगीकरण ने जितना हमारे जीवन को आसान बनाया है उससे कहीं अधिक हमें इसकी कीमत जलवायु परिवर्तन एवं भू तापन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न सूखा, बाढ़, तूफान, भूस्खलन आदि के रूप में चुकानी पड़ रही है जिसका सीधा प्रभाव वंचित वर्गों पर पड़ रहा है। चूंकि यह लोग ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार रहे हैं।

जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत सर्वाधिक प्रभावित देशों में छठे स्थान (1993–2022) पर है, जहाँ चरम मौसमी घटनाओं के कारण 80,000 मौतें (विश्व की 10%) हुई हैं, तथा कुल वैश्विक आर्थिक नुकसान (180 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का 4.3% नुकसान हुआ है।

भारत में अत्यधिक बाढ़ (वर्ष 1993, 2013, 2019), तीव्र हीट वेव्स (वर्ष 1998, 2002, 2003, 2015 में ~ 50°C) एवं हुदहुद (वर्ष 2014) तथा अम्फान (वर्ष 2020) जैसे विनाशकारी चक्रवातों की स्थिति देखी गई है।

एशियाई विकास बैंक की एशिया– प्रशांत (**APAC**) जलवायु रिपोर्ट 2024 में अनुमान लगाया गया है कि भारत को जलवायु परिवर्तन के कारण वर्ष 2070 तक 24.7% तक ळक्द्ध में हानि हो सकती है, जिसका कारण समुद्र का बढ़ता जल स्तर तथा श्रम उत्पादकता में गिरावट होगी। यह आर्थिक नुकसान न केवल धन की हानि तक सीमित है, बल्कि इसके अनेक सामाजिक–सांस्कृतिक दुष्परिणाम भी हैं:

Inequality Outlook- India 2025[1]

	Income	Wealth

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

	Average income (ppp €)	Share of total %	Average wealth (ppp €)	Share of total %
Full pop.	6,224	100.0%	28,141	100.0%
Botum 50%	940	15.0%	1,801	6.4%
Middle 40%	4,247	27.3%	20,120	28.6%
Top 10%	35,901	57.7%	182,913	65.0%
Top 1%	140,649	22.6%	1,128,435	40.1%

इस रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़े बताते हैं कि देश की कुल आबादी में से शीर्ष एक प्रतिशत लोगों के पास देश की कुल आय का 23.6 प्रतिशत हिस्सा है तथा देश की कुल संपत्ति का 40% हिस्सा भी एक प्रतिशत आबादी के पास है वहीं शीर्ष 10 प्रतिशत आबादी के पास कुल राष्ट्रीय आय का 57.7 प्रतिशत हिस्सा है तथा कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 65% हिस्सा भी इन्हीं के पास है, जबकि मध्यम आय वर्ग वाले 40 प्रतिशत लोग हैं जिनकी कुल राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी 27.3 प्रतिशत है और कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 28.6 प्रतिशत भाग इनके पास है वही देश की आधी आबादी निचले स्तर का जीवन यापन कर रही है जिनकी देश की आय में 15 प्रतिशत की हिस्सेदारी है तथा संपत्ति का केवल 6.4 प्रतिशत हिस्सा उनके पास है। यह आर्थिक असमानता कोई नई बात नहीं है बल्कि प्राचीन काल से ही समाज के कुछ समूह जैसे– अनुसूचित जातियां, जनजातियां, महिलाएं एवं दिव्यांग आदि। वर्ग सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित रहे हैं, जिसमें सबसे अधिक संवेदनशील दिव्यांग वर्ग है आज जलवायु परिवर्तन के दौर में उनकी स्थिति और भी विचारणीय हो गई है।

दिव्यांगजनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव– जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय की सबसे ज्वलंत वैश्विक चुनौतियों में से एक है, जो न केवल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बल्कि मानवीय समाज के सबसे संवेदनशील वर्गों को भी गहराई से प्रभावित कर रहा है। भारत जैसे विकासशील देश में, जहाँ भौगोलिक विविधता और सामाजिक–आर्थिक असमानताएँ व्यापक हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एक समान नहीं होते। विशेष रूप से दिव्यांग जनों के लिए, जो उनकी पूर्व–मौजूद चुनौतियों को कई गुना बढ़ा देता है।

जलवायु न्याय का ढांचा इस बात पर जोर देता है कि जो लोग जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं जैसे कि निम्न–आय वाले देशों के दिव्यांग जनकृवही इसके परिणामों से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। यह सक्षमवादी (Ableist) और वायुमंडलीय उपनिवेशवाद (Atmospheric Colonialism) के उन अंतर्निहित पैटर्न को उजागर करता है, जहाँ विकास की दौड़ में दिव्यांग जनों की आवाजों को हाशिए पर धकेल दिया गया है।

भारत में दिव्यांगता का सांख्यिकीय विश्लेषण– भारत में दिव्यांग जनों की संख्या और उनकी स्थिति के बारे में विश्वसनीय आंकड़ों का अभाव एक बड़ी चुनौती है। नीतिगत निर्णय अक्सर पुरानी जनगणना (2011) पर आधारित होते हैं, जो वर्तमान वास्तविकता को पूरी तरह से चित्रित नहीं करते हैं।

डेटा स्रोत	दिव्यांगता का अनुमान (प्रतिशत/संख्या)	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय निष्कर्ष
जनगणना 2011	2.21% (26.8 मिलियन)	2001 (21.9 मिलियन) की तुलना में वृद्धि। पुरुषों में व्यापकता अधिक (2.4%) महिलाओं की तुलना में (1.9%)
NSS 76वां दौर (2018)	2.2	ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापकता (2.3%) शहरी क्षेत्रों (2.0%) से अधिक है
NFHS (2019–21)	4.52%	राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा कहीं अधिक उच्च अनुमान, जो जमीनी स्तर पर बढ़ती चुनौतियों को दर्शाता है
WHO वैश्विक अनुमान	16%	वैश्विक स्तर पर 1.3 अरब लोग दिव्यांगता के साथ जी रहे हैं, जिनमें से 80: विकासशील देशों में हैं

आंकड़ों में यह भिन्नता इस बात का संकेत है कि भारत में एक विशाल आबादी अदृश्य बनी हुई है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में रहने वाले 18 मिलियन से अधिक दिव्यांग जन जलवायु जोखिमों के प्रति अधिक असुरक्षित हैं क्योंकि वहाँ सुगम्य बुनियादी ढांचा और जागरूकता की भारी कमी है।

श्रम बल और आर्थिक स्थिति– NSS 76वें दौर के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के दिव्यांग जनों के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) केवल 23.8% है। यह आर्थिक कमजोरी उन्हें जलवायु आपदाओं के बाद स्वयं को पुनर्स्थापित करने में अक्षम बनाती है। श्दिव्यांगता अभाव सूचकांक (Disability Deprivation Index) के अनुसार, केरल इस मामले में सबसे कम वंचित है, जबकि बिहार में दिव्यांग जनों को सबसे अधिक आर्थिक और सामाजिक अभाव का सामना करना पड़ता है।

प्राकृतिक आपदाएं और दिव्यांगता– निम्नलिखित आँकड़े समस्या की गंभीरता को दर्शाते हैं–

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

विवरण	डेटा/सांख्यिकी	स्रोत
वैश्विक दिव्यांग जनसंख्या	1.3 बिलियन (16%)	WHO (2022)
आपदा में मृत्यु दर	दिव्यांगों की मृत्यु दर सामान्य लोगों से **2 से 4 गुना** अधिक है।	UNESCAP (2019)
जापान सुनामी (2011)	सामान्य मृत्यु दर 0.8% थी, जबकि दिव्यांगों के लिए यह **2.06%** थी।	NHK & Kyoto University Analysis
पेरिस हीटवेव (2003)	मरने वालों में शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता वाले बुजुर्गों की संख्या सर्वाधिक थी।	INVS (France)
भारत में स्थिति	2.68 करोड़ (जनगणना 2011) - यथार्थवादी अनुमान इससे कहीं अधिक (विश्व बैंक के अनुसार 4-8 करोड़)।	Census 2011 / World Bank
अनुकूलन नीतियां	पेरिस समझौते के तहत 192 देशों में से केवल **32 देशों** ने अपने राष्ट्रीय योगदान (NDCs) में दिव्यांगों का उल्लेख किया है।	McGill University Study (2022)

जलवायु परिवर्तन, संसाधन संघर्ष और दिव्यांगता–

संसाधनों के लिए संघर्ष और विस्थापनः जलवायु परिवर्तन से जल और कृषि योग्य भूमि की कमी हो रही है, जिससे सामाजिक संघर्ष और प्रवास (Migration) बढ़ रहा है।

• **विस्थापन की चुनौतीः** संघर्ष या आपदा के दौरान भागना या पलायन करना दिव्यांगों के लिए कठिन है। सुगम्य परिवहन और सहायक उपकरणों (व्हीलचेयर, बैसाखी) के अभाव में वे अक्सर पीछे छूट जाते हैं या उन्हें जानबूझकर छोड़ दिया जाता है।

• **शरणार्थी शिविरः** जलवायु शरणार्थी शिविरों में अक्सर सुगम्य शौचालयों और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव होता है, जिससे दिव्यांगों को हिंसा और शोषण का सामना करना पड़ता है।

स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचा– अत्यधिक गर्मी (Heatwaves) का प्रभाव उन दिव्यांगों पर अधिक होता है जिन्हें थर्मोरेगुलेशन (शरीर का तापमान नियंत्रित करना) में समस्या होती है (जैसे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले लोग)। इसके अलावा, बिजली कटौती (जो तूफान या ग्रिड फेल होने से होती है) उन लोगों के लिए जानलेवा हो सकती है जो वेंटिलेटर या पावर व्हीलचेयर पर निर्भर हैं।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न इको–एंजाइटी और आपदा–पश्चात आघात (PTSD) दिव्यांग जनों में अधिक गहराई से देखे जाते हैं। अपना घर, आजीविका और सहायक सामाजिक नेटवर्क खोने का दुरूख मानसिक स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। आपदाओं के दौरान दूसरों पर पूर्ण निर्भरता और सूचना के अभाव से उत्पन्न होने वाली लाचारी अवसाद (क्मचतमेपवद) और आत्महत्या के विचार पैदा कर सकती है। भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य योजनाओं (जैसे आयुष्मान भारत) में अक्सर पुनर्वास चिकित्सा या मानसिक स्वास्थ्य देखभाल को पर्याप्त रूप से कवर नहीं किया जाता है।

आर्थिक स्थिति और आजीविका पर प्रभाव– जलवायु परिवर्तन दिव्यांग जनों की आर्थिक स्थिति को दो तरह से प्रभावित करता है प्रत्यक्ष रूप से आजीविका को नष्ट करके और अप्रत्यक्ष रूप से अनुकूलन की लागत को बढ़ाकर, ग्रामीण भारत में रहने वाले अधिकांश दिव्यांग जन कृषि या उससे संबंधित श्रम पर निर्भर हैं। सूखे और अनिश्चित मानसून के कारण फसल की विफलता उनके आय के एकमात्र स्रोत को समाप्त कर देती है।

• **खाद्य असुरक्षाः** आय में गिरावट और बढ़ती कीमतों के कारण दिव्यांग जनों को अक्सर भोजन में कटौती करनी पड़ती है, जिससे कुपोषण और माध्यमिक स्वास्थ्य स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। पानी और खाना पकाने के ईंधन की कमी महिलाओं और बच्चों पर बोझ बढ़ाती है, जिन्हें इन संसाधनों को एकत्र करने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जो शारीरिक दिव्यांगता के साथ और भी कठिन हो जाता है।

उच्च अनुकूलन लागतः दिव्यांग जनों के लिए जलवायु अनुकूलन अधिक खर्चीला है। उदाहरण के लिए, गर्मी से बचने के लिए उन्हें निरंतर बिजली और कूलिंग उपकरणों की आवश्यकता हो सकती है, जिसका खर्च वे अपनी कम आय के कारण नहीं उठा पाते। दक्षिण कोरियाई अध्ययन, जिसे भारतीय संदर्भ में प्रासंगिक माना जा सकता है, ने दिखाया कि लू के दौरान दिव्यांग जनों के लिए चिकित्सा लागत सात गुना बढ़ जाती है।

दिव्यांगता और लैंगिक असमानताः जलवायु परिवर्तन लिंग–तटस्थ नहीं है। दिव्यांग महिलाएं और बच्चे जलवायु संकट के प्रभावों को सबसे तीव्रता से महसूस करते हैं। आपदाओं के दौरान विस्थापन और सुरक्षा प्रणालियों के अभाव में दिव्यांग महिलाओं को यौन शोषण और लिंग आधारित हिंसा का अधिक जोखिम उठाना पड़ता है। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच आपदाओं के दौरान और भी बाधित हो जाती है। एक अध्ययन के अनुसार सुंदरबन में झींगा मछली पकड़ने वाली महिलाओं में नमकीन पानी के लंबे संपर्क के कारण सर्वाइकल कैंसर और चर्म रोगों जैसी गंभीर समस्याएँ देखी गई हैं। कई समाजों में महिलाओं को घर के भीतर रहने के लिए सिखाया जाता है, जो आपदा के समय उनकी निकासी में देरी का कारण बन सकता है।

दिव्यांग बच्चेः कुपोषण और विटामिन की कमी के कारण बचपन में होने वाली दिव्यांगता बढ़ सकती है, जलवायु आपदाओं के कारण स्कूलों का बंद होना या सुगम्य न होना दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और भविष्य की संभावनाओं को स्थायी रूप से बाधित करता है।

नीतिगत प्रतिक्रिया और सरकारी पहल– भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन और दिव्यांगता के क्षेत्र में कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी एक व्यापक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय मिशन और स्मार्ट सिटी मिशन–

- **राष्ट्रीय सतत आवास मिशन (NMSH):** इसका उद्देश्य शहरी नियोजन में ऊर्जा दक्षता और सुगमता को बढ़ाना है।
- **क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क (CSCAF)**: 100 स्मार्ट शहरों के लिए विकसित इस फ्रेमवर्क में 30 संकेतक शामिल हैं, लेकिन दिव्यांगता–विशिष्ट संकेतकों का इसमें अभी भी अभाव है।
- **सुगम्य भारत अभियानः** हालांकि यह अभियान बुनियादी ढांचे को सुलभ बनाने पर केंद्रित है, लेकिन इसे जलवायु लचीलापन (ब्सपउंजम त्मेपसपमदबम) के साथ जोड़ने की प्रक्रिया धीमी है।

विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग– विश्व बैंक भारत के साथ तटीय सुरक्षा के लिए मैंग्रोव लगाने, बांधों को मजबूत करने और जलवायु–अनुकूल कृषि को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। मेघालय ने दिव्यांग जनों को आपदा प्रबंधन में शामिल करने के लिए एक विशेष नियमावली विकसित की है, जो अन्य राज्यों के लिए एक मॉडल हो सकती है।

शहरी नियोजन और सुगमता– भारत की राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) और राज्य–स्तरीय योजनाओं (जैसे दिल्ली की कार्य योजना) में दिव्यांगता को प्राथमिकता नहीं दी गई है, कूलिंग शेल्टरों में अक्सर स्पर्शनीय संकेतों (Tactile Signs), शांत क्षेत्रों (Quiet Zones) और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी होती है, जो विशेष रूप से ऑटिस्टिक और दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं।

RPWD अधिनियम, 2016– भारत में आपदाओं की आवृत्ति दिव्यांग जनों के लिए एक निरंतर खतरा बनी हुई है, आपदा प्रबंधन चक्र के हर चरण की तैयारी, शमन, प्रतिक्रिया और बहाली में दिव्यांग जनों का बहिष्कार उनकी मृत्यु दर को सामान्य से 2 से 4 गुना बढ़ा देता है।

भारत में RPWD अधिनियम, 2016 एक ऐतिहासिक कानून है, जो दिव्यांग जनों को आपदाओं के दौरान विशेष सुरक्षा प्रदान करता है।

- **धारा 8 (1):** जोखिम और आपातकालीन स्थितियों में दिव्यांग जनों के लिए समान सुरक्षा अनिवार्य करती है।
- **धारा 8 (2):** राष्ट्रीय (छक्ड।) और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को अपनी गतिविधियों में दिव्यांगता को शामिल करने का आदेश देती है।
- **धारा 8 (3):** जिला स्तर पर दिव्यांग जनों का रिकॉर्ड बनाए रखने और उन्हें जोखिम के बारे में समय पर सूचित करने का दायित्व डालती है।

समाजशास्त्रीय विश्लेषण–

- आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ (Early Warning Systems) अक्सर समावेशी नहीं होतीं। उदाहरण के लिए, केवल सायरन बजना बधिर लोगों के लिए बेकार है, और केवल दृश्य संदेश नेत्रहीनों के लिए अनुपयोगी हैं। यह श्संचारगत बहिष्कार है, जो सामाजिक संघर्ष के समय जानलेवा साबित होता है।
- एक दिव्यांग महिला जो ग्रामीण भारत में रहती है, उसे तिहरी मार झेलनी पड़ती है लिंग (महिला होना), गरीबी (संसाधनहीनता), और दिव्यांगता। पानी की कमी होने पर जब महिलाओं को दूर से पानी लाना पड़ता है, तो एक दिव्यांग महिला के लिए यह संघर्ष अस्तित्व का संकट बन जाता है।
- गंभीर संसाधन संकट या बाढ़ जैसी स्थितियों में, समाज अक्सर अचेतन रूप से योग्यतम की उत्तरजीविता (urvival of the fittest) की मानसिकता अपना लेता है। बचाव कार्यों में अक्सर ट्राइएज (Triage) पद्धति अपनाई जाती है, जहाँ उन लोगों को बचाने को प्राथमिकता दी जाती है, जिनके बचने की संभावना अधिक मानी जाती है, जिससे दिव्यांगों को अक्सर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है।

निष्कर्ष– भारत में दिव्यांग जनों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव केवल एक सांख्यिकीय समस्या नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक और संरचनात्मक विफलता का प्रतिबिंब है। जलवायु आपदाएं पूर्व–मौजूद असमानताओं को उजागर करती हैं और उन्हें बढ़ाती हैं। हालाँकि, त्च्क् अधिनियम 2016 और अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ एक मजबूत कानूनी आधार प्रदान करती हैं, लेकिन वास्तविक परिवर्तन तभी संभव है जब जलवायु कार्रवाई के केंद्र में 'सुगमता' और 'समावेशिता' को रखा जाए।

भारत को अपने जलवायु अनुकूलन प्रयासों को दिव्यांग जनों की विशिष्ट क्षमताओं और जरूरतों के साथ जोड़ना होगा। जब हम एक ऐसा बुनियादी ढांचा बनाते हैं, जो दिव्यांग जनों के लिए सुरक्षित है, तो वह वास्तव में पूरे समाज के लिए सुरक्षित हो जाता

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

है। जलवायु न्याय की दिशा में भारत की यात्रा तभी सफल मानी जाएगी जब उसका सबसे कमजोर नागरिक भी सुरक्षित, समर्थ और सम्मानित महसूस करेगा। भविष्य की नीतियों को सक्षमवाद को त्याग कर समावेशी लचीलापन के मार्ग पर चलना होगा, जहाँ किसी भी आपदा में कोई भी पीछे न छूटे।

सुझाव– जलवायु–दिव्यांगता संकट को दूर करने के लिए भारत को एक मानवाधिकार–आधारित और अंतर्विभाजक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। दिव्यांग जनों को केवल लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि परिवर्तन के सूत्रधार के रूप में देखा जाना चाहिए।

- **निर्णय लेने में भूमिका –** जलवायु नीतियों और आपदा प्रबंधन समितियों में दिव्यांग जनों और उनके संगठनों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- तकनीकी समाधानों और सुलभ चेतावनी प्रणालियों को दिव्यांग जनों के साथ मिलकर डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि वे उनकी वास्तविक जरूरतों को पूरा कर सकें।
- लिंग, आयु और दिव्यांगता के प्रकार के आधार पर डेटा संग्रह अनिवार्य होना चाहिए ताकि लक्षित हस्तक्षेप संभव हो सके।
- दिव्यांग जनों द्वारा विकसित किए गए स्वदेशी और स्थानीय समाधानों (जैसे माजुली द्वीप का उदाहरण) को राष्ट्रीय नीतियों में एकीकृत किया जाना चाहिए।
- सभी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से चक्रवात आश्रय स्थल और स्वास्थ्य केंद्र, चेकलिस्ट के अनुसार सुलभ बनाए जाने चाहिए।
- एक्सेस फॉर ऑल सिद्धांत के तहत चेतावनियों को सांकेतिक भाषा, स्पर्शनीय संकेतों और सरल पाठ में प्रसारित किया जाना चाहिए।
- जलवायु–संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में लू और अन्य आपदाओं से संबंधित चिकित्सा प्रशिक्षण में दिव्यांगता संवेदनशीलता को शामिल किया जाना चाहिए।
- आजीविका सुरक्षा हरित रोजगार और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत दिव्यांग जनों के लिए अनुकूलित कार्यों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि उनकी आर्थिक लचीलापन (Economic Resilience) बढ़ सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Chancel, L., Gómez-Carrera, R., Moshrif, R., Piketty, T., et al. World Inequality Report 2026, World Inequality Lab. wir2026.wid.world.
2. Advancing Disability-inclusive Climate Research and Action, Climate Justice, and Climate-resilient Development - UB Law's Institutional Repository, https://scholarworks.law. ubalt.edu /cgi/viewcontent.cgi?article=2199&context=all_fac
3. Disability, Displacement and Climate Change - UNHCR, https://www.unhcr.org/media/ disability-displacement-and-climate-change
4. Inclusiveness of disaster management for persons with disabilities in Türkiye from stakeholders' perspective - PMC - NIH, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12218445/
5. CRPD/CSP/2022/4 - Convention on the Rights of Persons with Disabilities - the United Nations, https://docs.un.org/en/CRPD/CSP/2022/4
6. Inclusion of Persons with Disability in Disaster Management, https://msdma. gov.in/ publications/Inclusion_of_Persons_with_Disability_in_Disaster_Management.pdf
7. Advancing disability-inclusive climate research and action, climate justice, and climate-resilient development - PubMed, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38580426/
8. Is India's disaster preparedness inclusive enough? - Mongabay-India, https://india.mongabay. com/2025/08/is-indias-disaster-preparedness-inclusive-enough/
9. Epidemiology of disability and access to disability support and rehabilitation services in India: a secondary data analysis of the National Sample Survey (2018) - PubMed Central, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12083387/
10. CENSUS OF INDIA 2011 DATA ON DISABILITY, https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/meetings/2016/bangkok--disability-measurement-and-statistics/Session-6/India.pdf
11. भारत में दिव्यांगजन, Persons with Disabilities in India - MoSPI, https://www.mospi. gov. in/ sites/ default/files/publication_reports/Report_583_Final_0.pdf
12. दिव्यांगों का सशक्तिकरण, Drishti IAS, https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/empowering-persons-with-disabilities

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e–I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-20, No.- II, Issues-40, YEAR- April-June 2026

13. Unequal climate justice for people with disabilities, https://www.iddcconsortium.net/wp-content/uploads/2025/06/2508_BOND-Disability_final_web-updated.pdf
14. भारत में दिव्यांगजनों के समावेशन में सुधार - Drishti IAS, https://www.drishtiias.com/hindi/daily-updates/daily-news-editorials/enhancing-pwd-inclusion-in-india
15. Disability, work status and deprivation among working age-group: shred of evidences from National Sample Survey 76th round data, https://www.ijcmph.com/index.php/ ijcmph /article/ view/11851
16. No one left in the heat: For disabled people, heat waves are a human rights crisis, https://www.openglobalrights.org/no-one-left-in-the-heat-for-disabled-people-heat-waves-are-a-human-rights-crisis/
17. Impact of Heat on Human and Animal Health in India: A Landscape Review - PMC, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11773483/
18. Heatwaves affect people with disabilities more, Lancet study finds - The Economic Times, https://m.economictimes.com/news/india/heatwaves-affect-people-with-disabilities-more-lancet-study-finds/articleshow/110938836.cms
19. Research on Heatwaves and Disability - AAHD, https://aahd.us/2025/02/dhjo-heatwaves/
20. People with disabilities affected more by heatwave, Lancet study reveals - India Today, https://www.indiatoday.in/health/story/people-with-disabilities-affected-more-by-heatwave-lancet-study-2552654-2024-06-13
21. The Impacts of Extreme Weather Events on People with Disabilities, https://www.ncd.gov/assets/uploads/reports/2023/ncd-extreme-weather-2023.pdf
22. THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT ... - India Code, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/15939/1/the_rights_of_persons_with_disabilities_act%2C_2016.pdf
23. Designing Inclusive, Accessible Early Warning Systems: Good Practices and Entry Points - World Bank Documents & Reports, https://documents1.worldbank.org/curated/en/ 099050123 155016375/pdf/P1765160197f400b80947e0af8c48049151.pdf
24. Disability, Displacement and Climate Change, https://api.internal-displacement.org/sites/ default/files/publications/documents/Disability_Displacement_Climate%20Change.pdf
25. Accessibility in Multipurpose Cyclone Shelters: Checklist - NIUA, https://niua.in/publication-details/Accessibility_in_Multipurpose_Cyclone_Shelters%3A_Checklist

*****